अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें -

1. उच्च न्यायालय स्तर पर – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उप समिति जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहाँ के जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
2. जिला स्तर पर – जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
3. तहसील स्तर पर – दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,
4. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर द्वारा विज्ञापित

कानूनी साक्षरता हटाये दुर्बलता

लोक उपयोगी

सेवाओं के लिए स्थायी एवं निरंतर

लोक अदालत

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष: (0761) 2678352, 2624131, फैक्स: 2678537
वेबसाइट: www.mpslsa.nic.in ईमेल: mplsajab@nic.in
Toll Free 15100

स्थायी लोक अदालतों की स्थापना एवं गठन

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश में "लोक उपयोगी सेवाओं" से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है। स्थायी लोक अदालतें जिला न्यायालय परिसर में कार्यरत् हैं। वर्तमान में इन स्थायी लोक अदालतों की बैठकें प्रत्येक माह के **अंतिम शनिवार** को आयोजित की जाती है।

जिला न्यायालय में पदस्थ प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायालय को उस जिले की स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिलों में पदस्थ कार्यपालन यंत्री (सिविल) लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपरोक्त स्थायी लोक अदालत का सदस्य नामांकित किया गया है (विवादों की सुनवाई स्थायी लोक अदालत की पीठ द्वारा की जाती है)

लोक उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत कौन-कौन से प्रकरण आते हैं -

1. उपरोक्त स्थायी लोक अदालतें, लोक–उपयोगी सेवायें जैसे
2. वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए यातायात सेवा, या
3. डाक, तार या टेलीफोन सेवा, या
4. किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, या सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली, या

5. अस्पताल या औषधालय सेवा, या बीमा सेवा से संबंधित विवादों का संज्ञान लेगी।"सेवाओं" से तात्पर्य ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा से है जो उसके संभावित प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है।

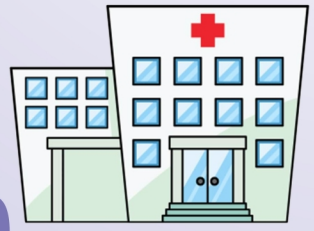

स्थानीय लोक अदालत में आवेदन करने की प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली-

कोई पक्षकार, उपरोक्त "सेवाओं" से संबंधित विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने के पूर्व, विवाद के निपटारे के लिए उपरोक्त स्थायी लोक अदालत के समक्ष निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

कौन-कौन से प्रकरण स्थायी लोक अदालत में नहीं रखे जा सकेंगे

1. ऐसे अपराध, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है,
2. ऐसे मामले जिनमें विवादित संपत्ति का मूल्य 10 लाख रूपये से अधिक है, विवाद या गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करते समय नैसर्गिक न्याय, निष्पक्षता, साम्या और न्याय के अन्य सिद्धांतों में मार्गदर्शित होगी।

यदि पक्षकार विवाद के समझौते के लिए किसी करार पर पहुंचने पर असफल रहते हैं, एवं यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है तो स्थायी लोक अदालत विवाद का गुणागुण के आधार पर विनिश्चिय कर देगी।

अधिनिर्णय-अंतिम एवं बंधनकारी-

लोक उपयोगी सेवा से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए गठित स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, स्थायी लोक अदालत गठन करने वाले व्यक्तियों के बहुमत द्वारा होगा।

उपरोक्त स्थायी लोक अदालत द्वारा गुणागुण के आधार पर या सुलह, समझौता, करार के आधार पर दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होकर पक्षकारों, पर बंधनकारी होगा। वह अधिनिर्णय किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा।

इन स्थायी लोक अदालतों के गठन से लोक उपयोगी सेवा से संबंधित विवादों का न केवल शीघ्र निराकरण होगा बल्कि उसका फैसला भी अंतिम होगा, जिससे संबंधित पक्षकारों को सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्राप्त होगा।